उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1
संख्या : 14/2024/223/94-1-2024-312(120)/2023
लखनऊ, दिनांक : 20 अगस्त, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(एक) नीचे अनुसूची-'क' एवं अनुसूची-'ख' में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला ललितपुर में एक नया रजिस्ट्रीकरण उप जिला ''मडावरा'' सृजित करते हैं, तथा

(दो) नीचे अनुसूची-'क' एवं अनुसूची-'ख' में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके जिला ललितपुर के रजिस्ट्रीकरण उप जिला 'महरौनी एवं पाली' की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं।

अनुसूची-क

जिला ललितपुर के रजिस्ट्रीकरण उप जिला 'महरौनी' से अपवर्जित किये गये एवं नव सृजित रजिस्ट्रीकरण उप जिला ''मडावरा'' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची

1	पहाडी कलॉ	2	पिपरट	3	कवराटा	4	परसाटा
5	सोरई	6	जलन्धर	7	हददा	8	मदनपुर
9	अमोदा	10	तलगुवा	11	दारूतला	12	पहाडीखुर्द
13	हसेरा	14	भोतीमडावरा	15	विरोदा	16	नीमखेडा
17	गोराखुर्द	18	दिदौनिया	19	अगरा	20	मडावरा
21	छपरा	22	धवा	23	रखवारा	24	बहादुरपुर
25	बछरावनी	26	जमुनियाखुर्द	27	धौरीसागर	28	बण्डवा
29	सौल्दा	30	गौराकलॉ	31	पिसनारी	32	लिधोरा
33	बम्होरीकलॉ	34	मडखेरा	35	लहर	36	कुर्रट
37	बडवार	38	जैतूपुरा	39	लखन्जर	40	सीरोन
41	गंगचारी	42	हंसरी	43	श्यामपुरा	44	उल्दनाखुर्द
45	बारई	46	ठनगना	47	पापरा	48	वनगुंवा
49	गोठरा	50	मानपुरा	51	टौरी	52	सेमरखेडा
53	देवरा	54	हंसरा	55	गर्रोलीमाफ	56	बम्होरीखुर्द
57	भोटा	58	सिमिरिया	59	देवरानकलॉ	60	तलउ
61	डोगराखुर्द	62	सैदपुर	63	सतवांसा	64	रमेशरा
65	नैनपुर	66	गढोलीकलॉ	67	साढूमल	68	उल्दनाकलॉ
69	धुरवारा	70	भूषरा	71	बुदनीमडावरा	72	मानिकपुर
73	छायन	74	भरतिया	75	चौमहू	76	लुहर्रा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

77	चढरा	78	चौका	79	प्यासा	80	छपरौनी
81	गढोलीखुर्द	82	रनगॉव	83	तिसगना	84	गोराकछया
85	गिदवाहा	86	दॉगली	87	इकोना	88	छितरापुर
89	बिघाई	90	सुकलगुवा	91	कारीटोरन	92	रमगढा
93	झॉकर	94	खैरपुरा	95	अगौडी	96	खुटगुवा
97	बलना	98	नडारी	99	पीडार	100	गिरार
101	डगडगी	102	इमिलियाखुर्द	103	भीकमपुर	104	सुनौनी
105	पिपरिया	106	नैकोरा	107	दिदौली	108	अगौडीग्रन्ट
109	टीकरा	110	टीकराग्रन्ट				

अनुसूची-ख

जिला ललितपुर के रजिस्ट्रीकरण उप जिला 'पाली' से अपवर्जित किये गये एवं नव सृजित रजिस्ट्रीकरण उप जिला ''मडावरा'' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची

1	बमराना	2	खिरियाउबारी	3	अर्जुनखिरिया	4	गुरयाना
5	देवरी	6	सिंगरवारा	7	दैनपुरा	8	भोतीनाराहट
9	बनयाना	10	चादोरा	11	पारोल	12	जमुनियाकलॉ
13	धौलपुरा	14	मछरका	15	पियरा	16	जरूवा
17	बरौदिया	18	खेरी	19	गदोरा	20	गुढामडवरा
21	पटना मडवरा	22	मलउवा	23	बरखेरा		

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 14/2024/223/94-1-2024-312(120)/2023 दिनांक : 20 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 20 अगस्त, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त (स्टाम्प), उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अन्द्रा वामसी
विशेष सचिव।

संख्या : 14/2024/223/94-1-2024-312(120)/2023 दिनांक : 20 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् , उ०प्र० लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, ललितपुर।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, ललितपुर।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, झाँसी मण्डल, झाँसी।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, ललितपुर।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

अन्द्रा वामसी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 14/2024/223/94-1-2024-312 (120)/2023 dated 20 August, 2024 **:**

Notification

No. 14/2024/223/94-1-2024-312(120)/2023
Lucknow; Dated : 20 August, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to,—

(i) create a new registration sub-district "Madawara" in district Lalitpur by including the revenue villages given in Schedule-A and Schedule-B below; and

(ii) alter the limits of registration sub-districts 'Mahrauni' and 'Pali' of district Lalitpur by excluding the areas of revenue villages given in Schedule-A and Schedule-B below, respectively.

Schedule-A

List of villages excluded from registration sub-district 'Mahrauni' of district Lalitpur and included in the newly created registration sub-district "Madawara"

1	Pahadi Kalan	2	Piprat	3	Kabrata	4	Parsata
5	Sounrai	6	Jalandhar	7	Hadda	8	Madanpur
9	Amoda	10	Talguan	11	Darutala	12	Pahadikhurd
13	Hasera	14	Bhoti Narahat	15	Vironda	16	Neemkhera
17	Gorakhurd	18	Didoniya	19	Agra	20	Madawara
21	Chhapra	22	Dhawa	23	Rakhwara	24	Bahadurpur
25	Bachhrawni	26	Jamuniya Khurd	27	Dhouri Sagar	28	Bandwa
29	Soulda	30	Gorakalan	31	Pisnari	32	Lidhora
33	Bamhorikalan	34	Madkhera	35	Lahar	36	Kurrat
37	Badwar	38	Jaitupura	39	Lakhajar	40	Seron
41	Gangchari	42	Hansari	43	Shyampura	44	Uldanakhurd
45	Warai	46	Thangana	47	Papro	48	Banguan
49	Gonthara	50	Manpura	51	Touri	52	Semankhera
53	Deora	54	Hansra	55	Garrolimaf	56	Bamhorikhurd
57	Bhounta	58	Simiriya	59	Deorankalan	60	Talau
61	Deorankhurd	62	Saidpur	63	Satwansa	64	Rameshra

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

65	Nainpur	66	Garholikalan	67	Shadhumal	68	Uldnakalan
69	Dhurwara	70	Bhoosra	71	Vudnamadara	72	Manikpur
73	Chhayan	74	Bhartiya	75	Chomaho	76	Luharra
77	Chadhra	78	Chauka	79	Pyasa	80	Chhaproni
81	Gorholi Khurd	82	Rangao	83	Tisgana	84	Gorakhachya
85	gidwaha	86	Dangli	87	Ikauna	88	Chhitarpur
89	Bighai	90	Sukul Guan	91	Karitoran	92	Ramgadha
93	Jhankar	94	Khairpura	95	Agauri	96	Khutguan
97	Balna	98	Nadari	99	Peedar	100	Girar
101	Dagdagi	102	Imliya Khurd	103	Bhikampur	104	Sunauni
105	Pipariya	106	Naikora	107	Didoli	108	Agorhi Grant
109	Tekra	110	Tekra Grant				

Schedule-B

List of villages excluded from the registration sub-district 'Pali' of district Lalitpur and included in the newly created registration sub-district "Madawara"

1	Bamrana	2	Khiriyaubari	3	Arjun Khiriya	4	Guryana
5	Devri	6	Singarwara	7	Denpura	8	Bhotinarahat
9	Banyana	10	Chadora	11	Parol	12	Jamuniyakala
13	Dholpura	14	Machharka	15	Piyra	16	Jariaa
17	Barodiya	18	Kheri	19	Gadora	20	Gudha Madaora
21	Patna Madaware	22	Malauaa	23	Barkhera		

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding which has already commenced or is pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।